



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052022-235999
CG-DL-E-24052022-235999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2253]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944

No. 2253]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISHTHA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2022

का.आ. 2374(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के उप-खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रमों को वित्तीय सेवा के रूप में, अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/4/2022-ईएम-भाग(1)]

डॉ. शशांक सक्सेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2022

S.O. 2374(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xiv) of clause (e), of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby notifies *courses offered in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics by foreign universities or foreign institutions in the International Financial Services Centre*, as financial service.

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/4/2022-EM-Part(I)]

DR. SHASHANK SAKSENA, Senior Economic Adviser